1907 10-9-01

ppa

余

ज्ञार्?

REGD. NO. D. L.-33004/99



रजिस्टी सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

The Gazette of Indi असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4 PART III-Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2001/भाद्र 13, 1923/ 01 सं. 238] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2001/BHADRA 13, 1923 No. 238]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2001

फा. सं. 9-2/2001/राअशिप.— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) की धारा 12(ग) के साथ गठित धारा 32 की उपधारा (2) की धारा (घ) (झ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद एतदद्वारा निम्न विनियम बनाती है :

संक्षिप्त शीर्षक और प्रावधान 1.

इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 ।

ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

प्रयोज्यता 2.

ये विनियम केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रारंभिक (प्रारंभिक तथा उच्च माध्यमिक/मिडिल स्कूल) माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित, संचालित अथवा सहायताप्राप्त अथवा मान्यताप्राप्त Hester सभी औपचारिक स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए लागू होंगे ।

(1)

NUV

राहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विमाग सिविल लाइन्स दिल्ली-64

2764 GI/2001

2			THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY	[PART III-SEC. 4]
2	3.	भर्ती व (i) (ii)	ते लिए अर्हताएं उपर्युक्त खण्ड 2 में उल्लिखित शैक्षणिक संस्थानों में अध्यापकों के लिए अर्हताएं इन विनियमों की पहली और दूसरी अनुसूचि अनुसार होंगी । पहली अनुसूची में निर्धारित अर्हताएं स्कूल दि पढ़ाने वाले अध्यापकों की भर्ती के मामले में लागू होंगी । दूसरी में उल्लिखित अर्हताएं शारीरिक शिक्षा के लिए अध्यापकों के मामले में लागू होंगी । कार्यानुभव, कला शिक्षा आदि जैसे सह-पाठ्यचर्यात्मक कार्य लिए अध्यापकों की भर्ती के निमित्त मौजूदा अर्हताएं अथव	या म ।दए विषयों को ते अनुसूची ती भर्ती के कलापों के
		(iii) 	सरकार द्वारा यथानिर्धारित अन्य अर्हताएं लागू होंगी । अध्यापक की अध्यापन के एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति में सम्बन्धित स्तर के लिए संगत अनुसूचियों में निर्दिष्ट न्यून आवश्यक होगी ।	की स्थिति तम अर्हता

4. भर्ती नियमों में संशोधन

मौजूदा भर्ती नियमों को इन अनुसूचियों में निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप बनाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित किया जा सकता है । इस बीच इन विनियमों को जारी किए जाने के बाद मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्त किए गए अध्यापकों के लिए अनुसूची में निर्धारित अर्हताएं प्राप्त करनी आवश्यक होंगी ।

5. ढील देने के अधिकार

सम्बन्धित सरकार से इस आशय के किसी मामले के प्राप्त होने पर कि ऐसी विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं जिनमें विनियमों के प्रावधानों में कुछ समय के लिए ढील दी जानी आवश्यक है, संतुष्ट होने पर, परिषद् उस प्रावधान में उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जिन्हें वह न्यायोचित और समानता की दृष्टि से आवश्यक समझे ढील दे सकती है ।

व्याख्या

यदि इन विनियमों की व्याख्या अथवा विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समतुल्यता के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा ।

10

राहायक नियंत्रक (प्रशासन)

ाहायक नियत्रक (प्रशासन) भःरत सरकार, प्रकाशन विभाग (सेविल लाइन्स, दिल्ली–54 भारत का राजपत्र : असाधारण

3

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 की पहली अनुसूची

विनियमों के खण्ड 2 में उल्लिखित शैक्षिक संस्थानों में अध्यापकों की भर्ती के लिए अईताएं

स्तर 1. प्रारंभिक (क) प्राथमिक	न्यूनतम शैक्षिक /व्यावसायिक अर्हताएं (i) उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
	(1) उच्च माध्यामक स्कूल प्रमाणपत्र
(4) XIAIMO	00
	अथवा इण्टरमीडिएट अथवा उसके
	, समकक्ष ।
	(ii) बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण में कम
	से कम दो वर्ष की अवधि का
	डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र ।
	अथवा
	(iii) बी.एल.एड. (बैचलर आफ
	एजूकेशन)
ख) उच्च प्राथमिक (मिडिल स्कूल	त (i) उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
सैक्शन)	अथवा इण्टरमीडिएट अथवा उसके
	समकक्ष।
	(ii) प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण में कम
	से कम दो वर्ष की अवधि का
	डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र।
	अथवा
	बी.एल.एड. (बैचलर आफ एजूकेशन)
	अथवा
	बी.एड. अथवा उसके समतुल्य सहित
	स्नातक
माध्यमिक/हाई स्कूल	बी.एड. अथवा उसके समतुल्य सहित
	बी.एड. अथवा उसके समतुल्य सहित स्नातक
,	
	अथवा ज्ञान जर्षीय प्रजीतन्त्र नीमक की
olderhit	चार वर्षीय एकीकृत बीएस.सी, बी.एड.
। हायक नियंत्रक (प्रशासन)	1
भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग	

[PART III—SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

		अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम ।
3.	उच्च माध्यमिक/पीयूसी/इण्टरमीडिएट	बी.एड. अथवा उसके समतुल्य सहित संगत विषय में एम.ए.
		अथवा
		दो वर्षीय एकीकृत एम.एससी.एड. पाठ्यक्रम अथवा उसके समतुल्य पाठ्यक्रम

टिप्पणी

2.

 प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में दो वर्ष की अवधि का बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम जरूरी है । बी.एड. बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान नहीं ले सकता ।

कुछ राज्यों में केवल एक वर्ष की अवधि वाले बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं जबकि कुछ अन्य राज्यों में माध्यमिक स्तर की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्राथमिक स्तर के अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में दाखिल किया जाता है । ऐसे राज्यों को 2005 तक उच्च माध्यमिक/इण्टरमीडिएट पास प्रत्याशियों को दाखिल करते हुए कम से कम दो वर्ष की अवधि के बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए । इस बीच जिन जम्मीदवारों ने एक वर्ष की अवधि का बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है अथवा जो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केवल माध्यमिक स्तर की परीक्षा पास करने के बाद दाखिल हुए थे, जन्हें केवल संबंधित राज्यों में ही नौकरी प्रदान की जाए ।

ाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

भारत. का राजपत्र : असाधारण

[भाग]]] – खण्ड 4]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए पात्रता अर्हताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 की दूसरी अनुसूची

> विनियमों के खण्ड दो में उल्लिखित शैक्षिक संस्थानों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की भर्ती के लिए अर्हताएं

स्तर	न्यूनतम शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हताएं
1. प्रारंभिक	(i) उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र
	, अथवा इण्टरमीडिएट अथवा उसके
	समकक्ष, तथा
	(ii) शारीरिक शिक्षा में कम से कम दो
	वर्ष की अवधि का प्रमाणपत्र
	कार्यक्रम (सी.पी.एड.) अथवा उसके
	समतुल्य ।
2. माध्यमिक/हाई स्कूल	बी.पी.एड. (बैचलर आफ एजूकेशन) अथवा
	उसके समतुल्य सहित स्नातक ।
3. उच्च माध्यमिक	एम.पी.ई./एम.पी.एड. (दो वर्ष की अवधि)
(शारीरिक शिक्षा एक वैकल्पिक विषय	
हो तो)	

टिप्पणी

1. कुछ राज्य शारीरिक शिक्षा में केवल एक वर्ष की अवधि के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम चला रहे हैं जबकि कुछ अन्य राज्यों में शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के प्रमाणपत्र कार्यक्रम में माध्यमिक स्तर की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को दाखिला दिया जाता है । ऐसे राज्यों को 2005 तक उच्च माध्यमिक/इण्टरमीडिएट पास प्रत्याशियों को दाखिल करते हुए शारीरिक शिक्षा में कम से कम दो वर्ष की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित करना होगा । इस बीच जिन जम्मीदवारों ने शारीरिक शिक्षा में एक वर्ष की अवधि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है अथवा जिन्होंने ऐसे कार्यक्रमों में माध्यमिक स्तर की परीक्षा पास करके दाखिला लिया था उन्हें केवल संबंधित राज्यों में रोजगार या नौकरी प्रदान की जाए ।

etter G

राहायक नियंत्रक (प्रशासन)

[सं. विज्ञापन III/IV/131/2001/असा.] एस. के. रॉय, सदस्य-सचिव

404

भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2001

F. No. 9-2/2001/NCTE.— In exercise of the powers conferred under clause (d)(i) of subsection (2) of Section 32 read with Section 12(d) of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the Council hereby makes the following Regulations:

1. Short title and commencement

These Regulations may be called the NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION (DETERMINATION OF MINIMUM QUALIFICATIONS FOR RECRUITMENT OF TEACHERS IN SCHOOLS) REGULATIONS, 2001.

They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability

These Regulations shall be applicable for recruitment of teachers in all formal schools established, run or aided or recognised by Central or State Government and other authorities for imparting education at elementary (primary and upper primary/middle school), secondary and senior secondary stages.

3. **Qualifications for Recruitment**

- i) The qualifications for recruitment of teachers in educational institutions mentioned in Section 2 above shall be as given in the First and Second Schedules to these Regulations. The qualifications prescribed in the First Schedule shall apply for recruitment of teachers for teaching school subjects. The qualifications prescribed in the Second Schedule shall apply for recruitment of teachers for Physical Education.
- ii)

For recruitment of teachers for co-curricular activities such as work experience, art education, etc., existing qualifications or such other qualifications as may be prescribed by the concerned government shall apply.

iii) For promotion of teachers from one level to the next level of teaching, minimum qualification as given in the Schedules for the concerned level would be required.

MOS

4. Amendment of Recruitment Rules

The existing recruitment rules may be modified within a period of three years so as to bring them in conformity with the qualifications prescribed in the Schedules. Meanwhile, teachers appointed as per the existing recruitment qualifications, subsequent to the issue of these Regulations, will be required to acquire qualifications as prescribed in the Schedules.

offershit

ाहायके नियंत्रके (प्रशासने) भारत सरकार, प्रकाशन विभाग सिविल लाइन्स, दिल्ली–54 [भाग]]]—खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

5. Power to relax

Where the Council is satisfied, on receipt of reference from the concerned Government, that special circumstances exist warranting relaxation of some of the provisions of the regulations for sometime it may grant relaxation of that provision to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary in a just and equitable manner.

6. Interpretation

If any question arises relating to interpretation of these Regulations or equivalence of various teachers' training programmes, decision of the Council shall be final.

First Schedule to the National Council for Teacher Education (Determination of Qualifications for Recruitment of Teachers) Regulations 2001

Recruitment qualifications for recruitment of teachers in educational institutions mentioned in Section 2 of the Regulations

LEVEL	MINIMUM ACADEMIC AND PROFESSIONAL		
	QUALIFICATIONS		
I <u>Elementary</u> (a) Primary	 (i) Senior Secondary School certificate or Intermediate or its equivalent; and (ii) Diploma or certificate in basic teachers' training of a duration of not less than two years. OR Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) 		
(b) Upper Primary (Middle school section)			
	Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) OR Graduate with Bachelor of Education (B.Ed.) or its		
II <u>Secondary/High School</u>	equivalent. Graduate with Bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent. OR Four years' integrated B.Sc., B.Ed. or an equivalent course.		
1. 25 111	Master's Degree in the relevant subject with Bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent. OR Two years' integrated M.Sc.Ed. course or an equivalent course.		
ाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भारत सरकार, प्रकाशन बिभाग (सेविल लाइन्स, दिल्ली-64	406		

.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

Note :

2.

- For appointment of teachers for primary classes, basic teachers' training programme of 2 years' duration is required. B.Ed. is not a substitute for basic teachers' training 1. programme.
 - Some of the States are having basic teachers' training courses of one year duration only, while in some other States students passing secondary level examination are admitted to primary level teacher training courses. Such States may, by 2005, conduct basic teachers' training programmes of a duration of not less than two years with admission being open to Senior Secondary / Intermediate pass candidates. In the meantime candidates who have undergone basic teachers' training courses of one year duration or were admitted to such training programmes after passing secondary level examination only may be given employment in the concerned States only.

Second Schedule to the National Council for Teacher Education (Determination of Qualifications for Recruitment of Teachers) **Regulations 2001**

Qualifications for recruitment of teachers of Physical Education in Educational Institutions mentioned in Section 2 of the Regulations

LEVEL	MINIMUM ACADEMIC AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS
I <u>Elementary</u> II <u>Secondary/High School</u>	 (i) Senior Secondary School certificate or Intermediate or its equivalent; and (ii) Certificate in Physical Education (C.P.Ed.) of a duration of not less than two years or its equivalent. Graduate with Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) or its equivalent.
III <u>Senior Secondary</u> (Physical Education as an elective subject)	M.P.E./M.P.Ed. (2 year duration)

Note :

Some of the States are having certificate in physical education courses of one year duration only, while in some other States students passing secondary level examination are Such States may, by 2005, conduct admitted to certificate in physical education courses. certificate in physical education programmes of a duration of not less than two years with admission being open to Senior Secondary / Intermediate pass candidates. In the meantime candidates who have undergone certificate courses in physical education of one year duration or were admitted to such programmes after passing secondary level examination only may be given employment in the concerned States only.

[No. ADVT. III/IV/131/2001/Exty.] S.K.RAY, Member-Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring. Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054

401

ः हिंचिक नियंत्रेक (प्रशासन) भ रत सरकार प्रकाशन विभाग सेविल लाइन्स, दिल्ली-54